

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

स्रोत विपक्षी गीता कुवल  
 न मुकदमा 88,188/25 पत्रावली संख्या 190/25 सन् \_\_\_\_\_

क्रं	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
------	-----------------	---

11/7/25 पत्रावली न्यायालय द्वारा के  
 उकरवा संख्या 36/25 में पारित निर्णय  
 दिनांक 27/03/25 के वि विपक्षी के क्रम  
 में पूर्व रजिस्ट्रार कोकर पेश करी उकरवा  
 संख्या 38/25 निर्णय दिनांक 27/03/25  
 के वस उकरवा में पारित निर्णय दिनांक  
 26/03/25 को अपील कर पुनः नम्बर  
 पर लिखे जाने के आदेश दिए गये हैं।  
 उकरवा में आदि. खादी को दिनांक 8/08/25  
 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया  
 गया है। पत्रावली पारित तलवी  
 पारिवारी गौ दिनांक 08/08/25 को  
 पेश है।

8/9/25  
 कुलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवी प्रतिवादी  
 के लिये मौका चाहते है। अतः ए  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 25/9/25  
 कोपेश हो।

(SDO) मावली

25/9/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।  
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
 के क्रम में दिनांक 05/11/25 को पेश है।

*[Signature]*

5/12/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान सप.।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 19/12/26 को पेश हो।

810  
2

5  
19/12/26

19/12/26 तलवी (निवार)

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप.

के लिये मौका चाहते है। अतः

अवसर दिया जाकर पत्रावली दि.

को पेश हो।

(SDO) पत्रावली

6/12/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान सप.।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 18/12/26 को पेश हो।

810  
2

18/12/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण  
मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता  
वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार  
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM  
हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके  
अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः  
अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित  
रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(SDO) पत्रावली